राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 3916/2024

हीरा स्वामी –अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा, बीकानेर।
3. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), माध्यमिक शिक्षा, चूरू।
4. प्रधानाचार्य, महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय, सवाई Delana, ब्लॉक सरदारशहर, जिला चूरू।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 16.12.2024
आदेश की दिनांक : 24.12.2024

<u>उपस्थित –</u>
अपीलार्थी की ओर से : श्री गिरिराज राजोरिया, अधिवक्ता

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

अपीलार्थी ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए यह तर्क दिया है कि अपीलार्थी वर्तमान में अध्यापक ग्रेड–III लेवल–2 संस्कृत के पद पर महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय, सवाई Delana, ब्लॉक सरदारशहर, जिला चूरू में कार्यरत है। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 06.12.2024 (अनुलग्नक–1) द्वारा अपीलार्थी को वर्तमान पदस्थापन स्थान से राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय, पाबूसर, ब्लॉक रतनगढ़, जिला चूरू में काउंसलिंग किए बिना और साथ ही पास के रिक्त पद को दर्शाए बिना स्थानांतरित कर दिया गया था, जिसमें अपीलार्थी का नाम क्रम संख्या 88 पर अंकित है। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 14.11.2024 (अनुलग्नक–2) द्वारा शिक्षकों को अपीलार्थी की तरह अधिशेष घोषित करके उनकी पोस्टिंग के लिए निर्देश/अनुसूची जारी की है। आलौच्य आदेश में वर्तमान ब्लॉक में पद रिक्त होने के बावजूद अन्य ब्लॉक में अपीलार्थी का पदस्थापन किया गया है जो नियम विरूद्ध है। मुख्य सचिव, प्रशासनिक सुधार विभाग ने दिनांक 04.01.2023 (अनुलग्नक–3) द्वारा दिनांक 15.01.2023 से स्थानांतरण पर प्रतिबंध लगा दिया था और

परिपत्र वर्तमान में अस्तित्व में है। परिपत्र के अनुसार अपीलार्थी को बिना किसी नियम के पदस्थापित किया गया है। प्रत्यर्थी विभाग ने माननीय मुख्यमंत्री से स्वीकृति लिए बिना ही आदेश जारी कर दिया, क्योंकि आदेश में ऐसा कुछ भी उल्लेख नहीं है कि उन्हें माननीय मुख्यमंत्री को कोई संस्तुति दी गई है।

अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 06.12.2024 (अनुलग्नक–1) को अपास्त किया जावे तथा प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित किया जावे कि अपीलार्थी को महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय, सवाई Delana, ब्लॉक सरदारशहर, जिला चूरू से कार्यमुक्त ना करे।

हमने अपीलार्थी की अपील पर बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया गया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिवचनों एवं अभिलेख से प्रकट होता है कि अपीलार्थी द्वारा आलोच्य आदेश दिनांक 06.12.2024 (अनुलग्नक–1) के विरूद्ध अनुतोष चाहा है, जिसके द्वारा अपीलार्थी को महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय, सवाई Delana, ब्लॉक सरदारशहर, जिला चूरू से राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय, पाबूसर, ब्लॉक रतनगढ़, जिला चूरू अन्य ब्लॉक में कर दिया गया। अतः उपर्युक्त मामलें की वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए हम न्यायहित में यह आदेश देना समीचीन समझते हैं कि अपीलार्थी दो सप्ताह में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिये जाते हैं कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/ परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में दो सप्ताह में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन को नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे। यह स्पष्ट किया जाता है कि अधिकरण अभ्यावेदन को किसी विशिष्ठ ढंग/रिती से निस्तारित करने का निर्देश नहीं दे रहा है। प्रत्यर्थी विभाग अपीलार्थी की उक्त वर्णित स्थिति के दृष्टिगत नियमानुसार नियत समयावधि में अभ्यावेदन का निस्तारण होने तक अपीलार्थी के सम्बन्ध में आलोच्य स्थानान्तरण आदेश दिनांक 06.12.2024 (अनुलग्नक–1) का क्रियान्वयन (Operation) स्थगित किया जाता है। यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि निर्धारित समयावधि में अभ्यावेदन प्रस्तुत करने के उक्त निर्देशों की पालना अपीलार्थी द्वारा नहीं किये जाने पर यह स्थगन आदेश स्वतः ही निष्प्रभावी हो जावेगा।

अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य